न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला—अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना संख्या 89 / 2018

1. रणवीर सिंह पुत्र श्री मंगलसिंह जी राजपुत उम्र 64 वर्ष ।
2. बलवीर सिंह पुत्र श्री मंगलसिंह जी राजपुत उम्र 62 वर्ष ।
3. ओमेन्द्र सिंह पुत्र श्री मंगलसिंह जी राजपुत उम्र 55 वर्ष ।
4. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री मंगलसिंह जी राजपुत उम्र 50 वर्ष ।
5. बजरंग सिंह पुत्र श्री शिवसिंह जी राजपुत उम्र 42 वर्ष ।
6. श्रीमति प्रेमकंवर पत्नि श्री शिवसिंह जी राजपुत उम्र 80 वर्ष ।
7. विरेन्द्रसिंह पुत्र श्री किशनसिंह जी राजपुत उम्र 55 वर्ष ।
8. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री किशनसिंह जी राजपुत उम्र 52 वर्ष ।
9. ललित सिंह पुत्र श्री किशनसिंह जी राजपुत उम्र 42 वर्ष ।
10. श्रीमति मोती कंवर पत्नि श्री गिरघर सिंह जी राजपुत उम्र 75 वर्ष ।
11. मानवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री भवानीसिंह राजपुत उम्र 15 वर्ष जीरये संरक्षक पिता भवानीसिंह पुत्र श्री गिरघर सिंह राजपुत ।
12. केशव प्रताप सिंह पुत्र श्री भवानीसिंह राजपुत उम्र 13 वर्ष जीरये संरक्षक पिता भवानीसिंह पुत्र श्री गिरघर सिंह राजपुत समस्त जाति राजपुत निवासीगण लाम्बा ग्राम पंचायत शेरगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर।

———————प्रार्थीगण

ब ना म

1. भगवतीप्रसाद पुत्र श्री रामसुख जी जाति ब्राहमण ।
2- मधुसुदन पुत्र श्री रामसुख जी जाति ब्राहमण ।
3. विष्णु पुत्र श्री रामसुख जी जाति ब्राहमण ।
4. देबी लाल पुत्र श्री गोविन्द राम जाति ब्राहमण ।
5. गोपाल पुत्र श्री बालू जी जाति कुम्हार ।
6. रामप्रकाश पुत्र श्री श्रवण जी जाति कुम्हार ।
7. सुरेश पुत्र श्री श्रवण जी जाति कुम्हार ।

1लगायत 7निवासी ग्राम लाम्बा ग्राम पंचायत शेरगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर।

8. श्रीमति मीरा पुत्री श्री हरिराम जी जाति रेगर निवासी ग्राम खासडा तहसील भिनाय।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, मसूदा, जिला अजमेर।

———अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम

आदेश   दिनांकः 25.02.2021

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा ग्राम लाम्बा पटवार क्षेत्र लाम्बा द्वितीय भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मसूदा तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2069—2072 के [illegible] रकबा 62—16—00, 1160 / 1 रकबा 15—16—00, 1174 / 2 रकबा 02—09—00, 117[illegible] रकबा 06—10—00 बीघा भूमियां प्रार्थीगण की खातेदारी में चली आती है जिस पर बिना किसी [illegible] व बिना बाधा के लगातार काबिज चला आता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की [illegible] है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात की सीमाओं [illegible] रहता है, जिस [illegible] ग्रस्त भूमियों की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। उक्त भूमियों पर तहसीलदार महोदय मसूदा द्वारा सीमाज्ञान भी किया जा चुका है किन्तु सीमाकंन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका होने के कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है।

.................लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:25:11 IST
Reason: SelfAttested

(मोहनलाल खटनावलिया)

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 09 तहसीलदार महोदय को आदेशित किया जावे कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजियात का मौके पर पत्थरगढ़ी करावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जरिए नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षान की सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बाद अवलोकन पाया कि मौजा ग्राम लाम्बा पटवार क्षेत्र लाम्बा द्वितीय भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मसूदा तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2069–2072 के खसरा संख्या 1159/1 रकबा 62–16–00, 1160/1 रक्बा 15–16–00, 1174/2 रकबा 02–09–00, 1175 रकबा 06–10–00 बीघा भूमियां प्रार्थीगण के नाम दर्ज है।

चूंकि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमियां है जिसमें वे जरिए नाप–चौप पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार मसूदा को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थीगण पक्षकारान एंव विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एंव संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भूअभिलेख निरीक्षक की टीम मौजा ग्राम लाम्बा पटवार क्षेत्र लाम्बा द्वितीय भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मसूदा तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2069–2072 के खसरा संख्या 1159/1 रकबा 62–16–00, 1160/1 रक्बा 15–16–00, 1174/2 रकबा 02–09–00, 1175 रकबा 06–10–00 बीघा भूमियां का मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 25.02.2021 को मेरे द्धारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:25:11 IST
Reason: SelfAttested